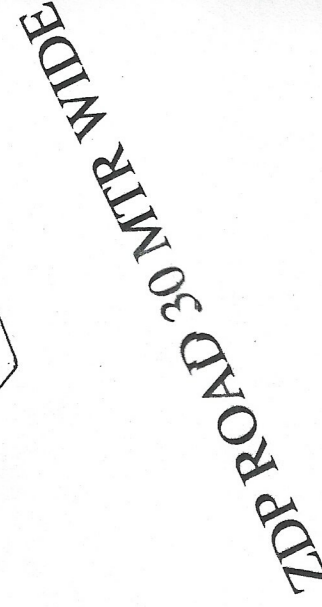


$$\begin{array}{r} 1390. \\ \hline B. \\ \hline 241.24 \end{array}$$


802/230

योजना मानचित्र पर खसरा सपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

मुंबई नगर पोलीस  
पटवारी जॉन 12  
ब्रिजिया, जयपूर

1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 18.09.2023 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 12, 22, 37 कुल क्षेत्रफल 587.48 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.60 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे खन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पेटटा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करारक अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 342 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. इनफार्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग 64 दिवस पूर्व/पार्लिंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
7. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के आवासीय दर्शित है।
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

उप मगर नियोजक

जान-12

[illegible]

बी.पी.सी. (एल.पी.)

21

649/31  
 मूल पत्रावली के मेरा संख्या 108/N पर श्रीमान उपाधुप, मधेय की स्वीकृति की माहना में मौजना के आनरिठि विहाल कार्म के मेरे रदन में रखे गये थूगछी से मौजना में आनरिठि विहाल कार्म पूर्ण होई के फलस्वरूप थूगछी संख्या 12, 22, 37 कुल थूगछ 3 हेउफल 587.48 वर्गमी. अपरि संयुर्ग 12.5 % की रदन गुण्डा किया आला है।

सहायक नगर निमोनड  
जैन-12

50/12

594/360

| A.T.P. ZONE | D.T.P. | S.T.P. |
|-------------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|

12